न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 47 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. पुखराज पुत्र मांगीलाल निवासी जगावतों का मौहल्ला चेनार, नागौर 2. सुखराम पुत्र मांगीलाल निवासी जगावतों का मौहल्ला चेनार, नागौर 3. राजेन्द्र पुत्र मुरारीलाल हाउसिंग बोर्ड, नागौर 4. मुरारीलाल पुत्र भंवरलाल गौड़ निवासी 1/3 हाउसिंग बोर्ड, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली, अप्रार्थी संख्या–3 व 4 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।

निर्णय दिनांक– 10-6-2019

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत घरेलु रसोई गैस के रिफिलिंग/व्यवसायिक उपयोग की रोकथम बाबत नागौर शहर में आक्समिक जॉच के दौरान सीज किये गये 15 धरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 एवं अन्य सामग्री को सम्पहरित (Confiscate) कर राज सात करने के आदेश बाबत दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत किया है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी।
4. प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामजीवन बेनीवाल का कथन रहा कि दिनांक 23.3.2018 को गांव चेनार स्थित जगावतों का बास में अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के पास स्थित बाड़े की जॉच की। वक्त जॉच मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 में घरेलू गैस रिफिलिंग करते मिले। अप्रार्थी संख्या–3 ने वाहन व सिलेण्डर स्वंय का होना तथा अप्रार्थी संख्या–1 के पास वाहनों में गैस भरने की मशीन होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 वाहनों में गैस भरने की एवज में 50/–रूपये प्रति लेना बताया। मौके पर सिलेण्डर नम्बर 3186738 कम्पनी बीपीसी जो कि प्लास्टिक कोटेड पाईप से वाल्व से जोड़कर मशीन के माध्यम से वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 में गैस भरी जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने घर स्वंय का तथा बाड़ा पिताजी के नाम है, जिसमें तीनों भाईयों का हिस्सा होना एवं वाहनों में घरेलू गैस रिफिलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होना एवं घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग करने के बारे में पुछने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई सन्तोषप्रद जबाब नहीं दिया। मौके पर ही अप्रार्थी संख्या 3 ने वाहन संख्या आर.जे. 21 यू. बी. 3490 पिताजी के नाम होना बताया। वक्त जॉच मौके से ही पुलिस थाना कोतवाली में पुलिस जाब्ता भेजने हेतु फोन करने पर कानिस्टेबल श्री झूमरराम व श्री कैलाश दिल्ली दरवाजा चौकी से मौके पर पहूँचे। उक्त कानिस्टेबलों के समक्ष बाड़े के पास में बनी दुकानों की जॉच में बाड़े में सामने की ओर बनी दुकान जिसका मुख्य दरवाजा नागौर–डीडवाना रोड़ की ओर खुलता है में 14 घरेलू गैस के सिलेण्डर जिसमें से 5 भारत गैस एवं 9 एच.पी. कम्पनी के रखे हुऐ पाये गये एवं 1 बीपीसी कम्पनी का सिलेण्डर जिससे अवैध रूप से वाहन संख्या आर.जे. 21 यूबी. 3490 में गैस भरी जा रही थी। कार्यवाही के दौरान मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा वाहनों

कलक्टर, नागौर

में घरेलू गैस की रिफिलिंग की जाती है, जो व्यक्ति घरेलू गैस सिलेण्डर लेकर आता है उसे अपनी मशीन से भरने के 50 रूपये लेना बताया ओर मौके पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुऐ पाये के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि 5 सिलेण्डर नागौर गैस सर्विस नागौर, 4 सिलेण्डर गहलोत गैस सर्विस नागौर एवं 5 सिलेण्डर मैसर्स शहीद सुरेन्द्र सिंह चौहान गैस एजेन्सी नागौर से प्राप्त करना बताया तथा यह भी बताया कि वह शादी समारोह में व अन्य किसी व्यक्ति मांग पर गैस सिलेण्डर सप्लाई करता है, जिसके एवज में 50/– से 100/–रूपये वास्तविक लागत से अधिक वसूल करता है तथा उक्त कार्य पिछले 2–3 वर्ष से करना बताया। चैनार स्थित अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के पास स्थित बाड़े में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसाई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2001 के क्लॉज 3(1),(2) तथा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(सी) 4 1(ए), 6,7(1)(ए),(बी),(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 व अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। इत्यादि कथन करते हुऐ उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 व गैस भरने की मशीन, दो बांसुरी, एक प्लॉस, बालवाल्व, पाईप को सम्पहरित (Confiscate) के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. वकील श्री पवन श्रीमाली ने अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को हूबहू दोहराया एवं बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने परिवाद मिथ्या तथ्यों व मनमर्जी से तैयार किये गये दस्तावेजों/फर्दो के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में न तो ऐसी कोई आक्समिक जॉच की गई न कोई फर्द तैयार की गई न ही कथित स्थल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व का है एवं न ही कथित कार्यवाही के वक्त रिफिलिंग की जा रही थी। यह गलत है कि मौके पर राजेन्द्रसिंह के कथित वाहन में गैस रिफलिंग अप्रार्थी पुखराज द्वारा की जा रही हो, यह गलत है कि राजेन्द्रसिंह ने प्रार्थी को यह बताया हो कि पुखराज के पास वाहनों में गैस भरने की मशीन है व वाहनों में गैस भरने की एवज में 50 रूपये प्रति सिलेण्डर लेता हो। मौके पर कथित कार्यवाही नहीं हुई थी न कोई फोटोग्राफ प्रार्थी ने पेश की है। अप्रार्थी कथित स्थल पर ऐसा कोई कार्य नहीं करते है न कभी किया बल्कि नागौर में दिल्ली दरवाजा के पास मजदूरी करते है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि सुखराम ने बताया कि कथित बाड़ा उसके पिता मांगीलाल का है तथा मुझे वाहनों में गैस रिफलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि न तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ऐसा कार्य जानते है न उन्होने ऐसा कार्य किया न कथित स्थल उनके स्वामित्व का है। गैस कम्पनीयों की गाड़िया गांव चेनार में गैस सिलेण्डर वितरित करने के लिए आती है जो ग्राहको से खाली सिलेण्डर लेकर भरे हुए देकर जाती है तथा कथित बाड़े के पास आस पास के निवासीगण गैस सिलेण्डर की गाड़ियों के इन्तजार में अपने खाली व भरे हुऐ सिलेण्डर कुछ समय के लिए रखते आये है व अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने वाहनों पर अपने अपने गैस सिलेण्डर अपने अपने घरों पर ले जाते है व कई बार साधन नहीं मिलने पर अन्य कार्यावश देरी हो जाने से दो–तीन घण्टे तक वहां सिलेण्डर सुरक्षित पड़े रहते है व सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सिलेण्डर कथित बाड़े में व कुछ उसके बाहर रख कर परिवार के सदस्य खड़े रहते है मात्र इसी कारण कथित अलग अलग कम्पनी के सिलेण्डर वहां पर रखे हुए थे जिस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर प्रवर्तन निरीक्षक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से रंजिश रखने वाले लोगों के सहयोग व सिखावट में आकर मिथ्या कहानी के आधार पर यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। कथित 14 घरेलू गैस सिलेण्डर जो जब्त करना बताये है, वे अलग अलग ग्राहकों के है, जो प्राप्त करने के अधिकारी है। कथित जब्तशुदा वाहन आर.जे. 21/यू.बी.3490 प्रार्थी मुरारीलाल गौड़ को न्यायालय [illegible] द्वारा आदेश दिनांक 16.4.2018 के जरिये सुपुर्द किया जा चुका है। यह गलत है कि कार्यवाही के दौरान मौके पर पुखराज पहूँचा हो व उससे कोई पुछताछ की

कलक्टर, नागौर

हो। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक-दुरूपयोग किया हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण ने लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2001 के क्लॉज 3(1)(2) तथा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(सी) 4 1(ए), 6,7(1)(ए),(बी),(सी) की अवहेलना की हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनने एवं न ही उक्त अधिनियम के तहत तथाकथित गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री समपहरण किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थी का परिवाद / प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

6. वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को हूबहू दोहराया एवं बहस में कथन किया कि वक्त जॉच अप्रार्थी संख्या–4 के वाहन संख्या आर.जे.–21–यू.बी.–3490 में वक्त जॉच किसी प्रकार की घरेलू गैस नहीं भरी जा रही थी। अप्रार्थी संख्या–4 के वाहन को परिवादी ने गलत रूप से जब्त किया है। अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा किसी प्रकार का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है। अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरूपयोग करने के संबंध में प्रार्थी ने अपने परिवाद के पैरा संख्या–4 में उल्लेख किया है, परन्तु उक्त पैरा संख्या–4 में अप्रार्थी संख्या–3 व 4 द्वारा उक्तानुसार दुरूपयोग करने का कथन नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या–3 व 4 की हद तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की हद तक खारिज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान रेवेन्यू टाईम्स.पी.136.11 / 12.9.16 पेज 1126 से 1129 प्रस्तुत किया।

7. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। रेकार्ड एवं वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। दिनांक 23.3.2018 को गांव चेनार स्थित जगावतों का बास में अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के पास स्थित बाड़े की जॉच की। वक्त जॉच मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 में घरेलू गैस रिफिलिंग करते मिले। अप्रार्थी संख्या–3 ने वाहन व सिलेण्डर स्वंय का होना तथा अप्रार्थी संख्या–1 के पास वाहनों में गैस भरने की मशीन होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 वाहनों में गैस भरने की एवज में 50 / –रूपये प्रति लेना बताया। मौके पर सिलेण्डर नम्बर 3186738 कम्पनी बीपीसी जो कि प्लास्टिक कोटेड पाईप से वाल्व से जोड़कर मशीन के माध्यम से वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 में गैस भरी जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने घर स्वंय का तथा बाड़ा पिताजी के नाम होना बताया, जिसमें तीनों भाईयों का हिस्सा होना बताया। मौके पर ही अप्रार्थी संख्या 3 ने वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 पिताजी के नाम होना बताया। वक्त जॉच मौके से ही पुलिस थाना कोतवाली में पुलिस जाब्ता भेजने हेतु फोन करने पर कानिस्टेबल श्री झूमरराम व श्री कैलाश दिल्ली दरवाजा चौकी से मौके पर पहूँचे। उक्त कानिस्टेबलों के समक्ष बाड़ के पास में बनी दुकानों की जॉच में बाड़े में सामने की ओर बनी दुकान जिसका मुख्य दरवाजा नागौर–डीडवाना रोड़ की ओर खुलता है में 14 घरेलू गैस के सिलेण्डर जिसमें से 5 भारत गैस एवं 9 एच.पी. कम्पनी के रखे हुऐ पाये गये एवं 1 बीपीसी कम्पनी का सिलेण्डर जिससे अवैध रूप से वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 में गैस भरी जा रही थी। कार्यवाही के दौरान मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा वाहनों में घरेलू गैस की रिफिलिंग की जाती है, जो व्यक्ति घरेलू गैस सिलेण्डर लेकर आता है उसे अपनी मशीन से भरने के 50 रूपये लेना बताया ओर मौके पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुऐ पाये के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि 5 सिलेण्डर नागौर गैस सर्विस नागौर, 4 सिलेण्डर गहलोत गैस सर्विस नागौर एवं 5 सिलेण्डर मैसर्स शहीद सुरेन्द्र सिंह चौहान गैस एजेन्सी नागौर से प्राप्त करना बताया। उक्त कार्य पिछले 2–3 वर्ष से करना बताया। प्रार्थी द्वारा मौके पर से प्रार्थना पत्र में वर्णित 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 व व गैस भरने की मशीन, दो बांसुरी, एक

प्लॉस, बालवाल्व, पाईप जब्त किये गये है। उक्त तथ्यों की ताईद फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.2018, फर्द तौल पट्टी एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 23.03.2018 एवं सुपुर्दगीनामा बाबत वाहन दिनांक 23.03.2018 से होती है। वकील अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही अपनी बहस में ऐसा कोई ठोस कथन किया गया है, जिससे यह साबित हो की प्रार्थी विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही गलत हो। इस प्रकार उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 पुखराज द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरूपयोग किया गया है। वकील अप्रार्थी श्री श्याम कुमार व्यास द्वारा किया गया कथन कि अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरूपयोग करने के संबंध में प्रार्थी ने अपने परिवाद के पैरा संख्या–4 में उल्लेख किया है, परन्तु उक्त पैरा संख्या–4 में अप्रार्थी संख्या–3 व 4 द्वारा उक्तानुसार दुरूपयोग करने का कथन नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास का उक्त कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी ने परिवाद के पैरा संख्या–4 में अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के पास स्थित बाड़े में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरूपयोग करने का उल्लेख किया है। अप्रार्थी संख्या–3 व 4 द्वारा उक्तानुसार दुरूपयोग करने का कथन नहीं किया है।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मशीन, दो बांसुरी, एक प्लॉस, बालवाल्व, पाईप को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जब्तशुदा उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मशीन, दो बांसुरी, एक प्लॉस, बालवाल्व, पाईप की कीमत के बराबर अप्रार्थी संख्या–1 पुखराज से जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या–1 पुखराज जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर को अप्रार्थी संख्या–1 पुखराज से जुर्माना राशि नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है एवं उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। वकील अप्रार्थी श्री श्याम कुमार व्यास द्वारा किया गया कथन कि अवैध रूप से घरेलू रसोई अप्रार्थी संख्या–4 मुरारीलाल का वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3490 मुक्त किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

9. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर